

असम अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

बनाम गोरखनाथ (तंगरा)

दिनांक मुद्रांक २१-५१ १११-१२४ नं० २७ मस २०२१

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	माध्यम से जारी अवकाश या हुकम हुकम की कार्यवाही में जारी हुए
---------	----------------------------------	--

२-२१ बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीयों को सम्मन भोटिस जारी किये जाते । पत्रावली दिनांक १०.३.२१ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक क्लर्क माण्डल

१२/३ उपपक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक ३०.५.२१ को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

३०/४ पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक १४.५.२१ को पेश हो।

१४/५ उपपक्ष उपस्थित पीठारीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक २९.६.२१ को पेश हो।  
रीडर  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

२९/६ पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक ३.७.२१ को पेश हो।

०१/७ पत्रावली प्रशासन गाँवों के लेग अभियान २०२१ के माध्यम में पेश हुई, अप्राथमिक के सम्मन जारी किया जाकर प्राप्त हुए जिसे शा.प डिफेंड किया गया। पत्रावली माण्डल द्वारा माँका रिपोर्ट पेश हुई

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

जिसे शा. पत्र क्रिया गया। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शा. पत्र क्रिया गया। पत्रावली फैसल शुभक होकर नम्बर से कम है।

डॉ. पूजा चव्हाणा  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

नम्बर  
अहकाम  
हुकम की  
में जज

प्रातः-11.00 बजे  
रात्रि दिन  
भाग 11

न्यायालय उपखण्ड  
प्राचीन अधिकारी :- डॉ.  
संख्या :- 27/21 प्रा.प  
शालुराम शि. शंकर  
गौरधाम शाल शि. शंकर  
प्रार्थना पत्र अ

की ओर से एक प्रार्थना पत्र उ  
या कि ग्राम.....  
क्त खातों की आराजी नं.  
+..... 88.4.4 हेक्टेयर.....  
के सीमा चिन्ह नहीं होने से आ  
ते की भूमि की पत्थर गढ़ी के  
प्रार्थना पत्र इस न्यायालय म  
से यह बात सिद्ध है कि वाद  
। वैसे भी इस प्रकार के आदे  
किसी प्रकार अधिकार निध  
धार पर आवेदन पत्र प्रार्थी र  
प्रार्थना धारा 111-128 लै  
..... तह  
..... कुल कितना .....

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 27/21 प्रा.पत्र

1- श्री बालुराम सा. शंकरलाल बाहाण निवासी-मांडल तहसील-मांडल

बनाम

1- श्री गोरधम लाल सा. हजारीलाल तंडना निवासी तंडना मौ. तहसील-मांडल (पंच) विपक्षीय (पंच)  
(सिद्धोक्ति प्रा.पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 10-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....मांडल.....पटवार हल्का.....मांडल.....तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 2014-2022, 2074-3834, कुल किता ..... 06 ..... वि.नं. 1 ..... 88.44 हेक्टेयर ..... 3840 स्थित/है यदि ग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक.....8-2-21.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....मांडल..... पटवार हल्का.....मांडल.....तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 2014, 2022, 2074-3834, कुल किता ..... 06 ..... रकबा..... 1 ..... 88.44 हेक्टेयर..... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक.....मांडल.....को ..... 700/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन भाग के तहत अभिलेख

5/1